उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-37/2026/835/78-1-2026-45/2026

लखनऊः दिनांक: 22-07-2026

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-763/78-1-2026-45/2026 दिनांक 10 जुलाई 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त नीति में **सलाहकार समिति** के गठन का प्राविधान है।

2- सलाहकार समिति राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत इनक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स, एक्सेलेरेटर्स तथा अन्य हितधारकों के लिए एक विचार मंच (Think Tank) के रूप में कार्य करेगी। समिति नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निरंतर सुधार हेतु रणनीतिक सुझाव, इनपुट एवं फीडबैक प्रदान करेगी। समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों को सशक्त समिति (Empowered Committee) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके उपरांत सशक्त समिति द्वारा उन्हें अग्रिम विचार एवं अनुमोदन हेतु यथा प्राविधान मा0 मंत्रिपरिषद अथवा स्टीयरिंग कमेटी (Steering Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त समिति की संरचना निम्नवत है:-

क्र0सं0	सदस्य	श्रेणी	भूमिका
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	शासकीय	अध्यक्ष
2	प्रो. जे.पी. पांडेय, कुलपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU)	शिक्षा जगत	सदस्य
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), यूपी स्टार्टअप मिशन।	शासकीय	संयोजक
4	निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) लखनऊ।	शिक्षा जगत	सदस्य
5	महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	वित्तीय संस्थान	सदस्य
6	प्रो. दीपु फिलिप, प्रभारी प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर	इनक्यूबेटर	सदस्य
7	प्रो. अमिताभ बंद्योपाध्याय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर	शिक्षा जगत	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) से प्रतिनिधि	शासकीय	सदस्य
9	श्री यामिनी भूषण पांडेय, प्रबंध निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ	इनक्यूबेटर	सदस्य
10	डॉ. मनोज कुमार मेश्राम, प्रभारी प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बीएचयू	इनक्यूबेटर	सदस्य
11	श्री आशुतोष शर्मा, प्रोसस वेंचर्स (Prosus Ventures)	वेंचर कैपिटल (VC)	सदस्य
12	वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) से प्रतिनिधि	वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)	सदस्य
13	वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) से प्रतिनिधि	वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)	सदस्य
14	श्री जलज दानी, अध्यक्ष, ऐडवर्ब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	उद्योग	सदस्य
15	श्री विजय शेखर शर्मा, संस्थापक, पेटीएम	स्टार्टअप	सदस्य
16	श्री विवेक, संस्थापक, रैफे एमफाइबर (Raphe mPhibr)	स्टार्टअप	सदस्य
17	नास्कॉम (NASSCOM) से प्रतिनिधि	एसोसिएशन	सदस्य
18	अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विशेष आमंत्रित सदस्य	-	सदस्य

नोट:

- सलाहकार समिति, अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, विशिष्ट बैठकों हेतु डोमेन विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप संस्थापकों तथा विषय विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित (Co-opt) कर सकती है।
- वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) के प्रतिनिधियों का नामांकन विभिन्न फंडों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक हितधारक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोटेशन (क्रमिक आधार) के आधार पर किया जाएगा।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूपी स्टार्टअप मिशन की नियमित नियुक्ति होने तक, प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समिति के सदस्यगण

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in